

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण-प्रत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता/स्वामी का नाम

पिता/पति का नाम

पता

परिसर की अवस्थिति

अशोक सिंह S/O लारा सिंह

A/0 Jagan Pur Tal. Duhana, Dist. Buxar - Patna

1. वोल्टता

2. कलाओं (फेजों) की संख्या

220

3. ए0सी0 / डी0सी0

वायरिंग का प्रयोजन-

वायरिंग का प्रकार (वैटन, कन्ड्यूट इत्यादि)

संस्थापना की विशिष्टियां-

सिगंठ
C.M.T

		220/230 वोल्ट्स				400/440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
		फेज 1		फेज 2		फेज 3			
संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल क्षमता	संख्या	कुल क्षमता

1. बत्तियों के प्वाइंट

2. पंखों के प्वाइंट

3. प्लग प्वाइंट

4. मोटर्स / जनरेटर्स

3HP PTW

(पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

योग

2.-अन्य उपस्कर (पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)

(1)

(2)

कुल संयोजन भार किलोवाट में

अधिकतम करन्ट मांग, एम्पियर में-

(कुल संयोजित भार के आधार पर

3HP PTW

विद्युत का रिसाव (विद्युतरधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना

भारतीय मानक संस्थान द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये)

ठेकेदार द्वारा विद्युतरधी प्रतिरोधी के परिमाण

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(1) फेज एवं अर्थ के बीच-

(2) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

(3) तारों के मध्य-

50M

50M

50M

नियम 29 :-

(1) बतायें कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार है।

(2) बतायें कि प्रत्येक अलग-अलग स्वीचों द्वारा नियंत्रित है।

(3) बतायें कि समस्त स्विच विद्युतमन्य (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये हैं।

नियम 32 :-

बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थवायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्रल वायर पर स्थायी

सत्यापन पमाण - पत्र

मैं/हम **मै० नव इण्टर प्राइजेज** कार्यालय अलरजा मंजिल करीमगंज, पूरनपुर लाइसेन्स प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस

संख्या **P.T.51** निम्न का सत्यापन करते हैं।

(अ) कि पूर्वोक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूर्वोक्त अंकित संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।

(स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत निगम 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ़ द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम **मितेन्द्र कुमार गौतम** परमिट सं० **55238** वैद्यता की तिथि **31-07-24**

पर्यवेक्षक का नाम **अजय कुमार शशि** प्रमाण पत्र सं० **15518** वैद्यता की तिथि **10-06-26**

अप्रन्टिस का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक विद्युत ठेकेदार की फर्म का नाम : **मै० नव इण्टर प्राइजेज**

अलरजा मंजिल करीमगंज-पूरनपुर

लाइसेंस संख्या : **P.T.-51**

लाइसेंस श्रेणी : **A Class**

वैद्यता का दिनांक : **31-03-2023**

ठेकेदार के हस्ताक्षर

घोषणा

(उपभोक्ता द्वारा की जाये)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत निगम 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्था पर मैं किसी प्रकार की बढोत्तरी अथवा ओवरलोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही की जायेगी।

दिनांक

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट

(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जाये)

विद्युत प्रतिरोधी का परिणाम

फेज-1 व अर्थ

फेज-2 व अर्थ

फेज-3 व अर्थ

1. फेज एवं अर्थ की बीच

3. तारों के मध्य-

फेज-1 व 2

फेज-2 व 3

फेज-3 व 1

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हों) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही-

1.

2.

3.

4.

दिनांक

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षणकर्ता

पद का नाम एवं हस्ताक्षर

पदनाम

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

निरीक्षण का परिणाम

(विवरण संलग्न किया जाये)

निरीक्षण तिथि

निरीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम